

गर्भवती महिला की हत्या का पर्दाफाश, पति और प्रेमिका गिरफ्तार

पुलिस ने घटना स्थल का मोबाइल फोरेंसिक यूनिट से निरीक्षण करवाया था

अजमेर, (कासं)। अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र के डोडियाना गांव में गर्भवती विवाहिता की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे अंदर पर्दाफाश कर दिया। प्यार में बाधक बनी पत्नी को पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर मारने की प्लानिंग बनाई और फिर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पति और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है।

मांगलियावास थाना प्रभारी एसआई रामस्वरूप ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि डोडियाना में रहने वाली गर्भवती शोभादेवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौके पर जाकर देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और जीभ बाहर निकली हुई थी। गले पर भी निशान थे। एसआई रामस्वरूप ने बताया कि डोडियाना में 14 अप्रैल एक गर्भवती महिला शोभा की हत्या हो गई है। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी भजन गायक शिवजी और उसकी प्रेमिका रेखा को गिरफ्तार कर लिया।



पत्नी की हत्या के मामले में पति और प्रेमिका को गिरफ्तार किया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और रेखा 5 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों शादी करना चाहते थे। इसलिए पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग की थी। हत्या

के बाद प्रेमिका को कॉल कर कहा कि हमारी योजना के अनुसार पत्नी को मार दिया है। आरोपी ने अपने ससुराल वालों और परिवार को गुमराह करने के लिए कभी हार्टअटक और कभी

सुसाइड करने की बात कही। पुलिस को भी बार-बार गुमराह करता रहा। जब सख्ती से पूछताछ की तो प्रेमिका के साथ वारदात करना कबूला। मृतक शोभा देवी के परिजन ने

■ महिला के पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर बनाई थी योजना

हत्या का आरोप लगाते हुए पिता अमराराम ने 15 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने शक जाहिर किया कि दामाद का रेखा नाम की महिला से प्रेम प्रसंग है। पुलिस ने घटना स्थल का मोबाइल फोरेंसिक यूनिट से निरीक्षण करवाया था। उसके बाद जेएलएनएच अजमेर से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया था। आरोपी पति 13 अप्रैल की शाम को अपने परिवार वालों को भजन संख्या में केसरपुरा जाने की बात कहकर निकल गया। उसी रात एक बजे के करीब अपने घर आया और छत पर सो रही पत्नी को जगाकर बातचीत की। इस बीच कपड़े के गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी गर्भवती थी।

11 डंपरों को जब्त कर 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला

खेतड़ी, (निस्)। खेतड़ीनगर में पुलिस थाने के सामने परिवहन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 11 वाहनों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 5 ओवरलोड डंपरों को जब्त किया है। इस दौरान 15 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है।

परिवहन निरीक्षक रमेश कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पुलिस, परिवहन व खनिज विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत परिवहन विभाग की ओर से अलग-अलग टीमें लगाकर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग की टीम ने सिंघाना से खेतड़ी जाने वाले स्टेट हाइवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान खेतड़ी के खनन क्षेत्र से ओवरलोड पत्थर व डस्ट लेकर आ रहे पांच ओवरलोड डंपर वाहन जब्त किए गए। इसके अलावा बिना फिटनेस, वाहन टैक्स चोरी के मामले में 11 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने



ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई की।

बताया कि खेतड़ी का खनन क्षेत्र होने के कारण यहां ओवरलोडिंग वाहनों का आवागमन सबसे अधिक होता है, जिसको लेकर विभाग की अलग-अलग टीम बनाकर अलग-अलग क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस पर विभाग की ओर से जुर्माना वसूल किया गया था। इस कार्रवाई से विभाग को 15 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया जाएगा। उन्होंने

बताया कि क्षेत्र में ओवरलोड डंपरों का संचालन अधिक होने के चलते आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों कीओर से भी समस्या को लेकर अवगत करवाया गया था। इस संबंध में अभियान में और तेजी लाकर प्रभावी कार्रवाई कर ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाया जाएगा। इस दौरान पुलिस व परिवहन विभाग की ओर से जब्त किए गए वाहनों को खेतड़ी नगर थाने में खड़ा करवाया।

ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

भीलवाड़ा, (निस्)। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत प्रस्तावित पंचायत पुनर्गठन में ग्राम लांगरो का खेड़ा उर्फ अश्यापुर को नीम ग्राम पंचायत में शामिल करने का विरोध ग्रामीणों ने किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को जापन सौंपकर मांग की है कि गांव को पूर्ववत धुंवाला ग्राम पंचायत में ही रखा जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि लांगरो का खेड़ा शुरू से धुंवाला पंचायत का हिस्सा रहा है, जबकि नीम पंचायत गांव से 9-10 किलोमीटर दूर है। वहां तक कोई सीधी सड़क या आवागमन की सुविधा नहीं है, जिससे आमजन, विशेषकर महिलाएँ, बुजुर्ग और छात्र-छात्राओं को परेशानी होगी। गांव की अधिकांश कृषि और आवासीय भूमि, रमशान घाट, चरागाह भूमि तथा सामाजिक जुड़ाव धुंवाला पंचायत से है। नीम पंचायत में शामिल करने से भविष्य में पशुपालन, नरेगा कार्य और अन्य सुविधाओं में बाधा आ सकती है। ग्रामीणों ने आग्रह किया है कि प्रस्तावित पुनर्गठन को रद्द करते हुए ग्राम लांगरो का खेड़ा को पूर्ववत धुंवाला ग्राम पंचायत में ही शामिल रखा जाए।

चलते कंटेनर में आग लगी, चालक ने कूदकर जान बचाई

भीलवाड़ा, (निस्)। अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग हाइवे पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। हालांकि चालक की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। जैसे ही ट्रक ने आग पकड़ी चालक

■ गुजरात में पंजीकृत कंटेनर दिल्ली के आस-पास से पार्सल लदान कर गुजरात जा रहा था

■ कंटेनर में भरे पार्सल में क्या सामान था, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है

ने कूदकर अपनी जान बचाई।

मांडल थाना पुलिस ने बताया कि गुजरात में पंजीकृत एक कंटेनर दिल्ली के आस-पास से पार्सल का लदान कर गुजरात जा रहा था। यह कंटेनर गुरुवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे अजमेर-भीलवाड़ा हाइवे पर रायसिंहपुरा पुलिस



मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया।

के नजदीक पहुंचा था कि कंटेनर के इंजन से अचानक धुंआ निकलने लगा। यह देखकर चालक ने कंटेनर को साइड पर लेकर खड़ा कर दिया और खुद बाहर निकल आया। उधर, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आस-पास मौजूद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में दमकल विभाग को सूचना दी। नगर निगम से एक दमकल मौके पर पहुंची, जिसकी मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास किये, लेकिन आग पर काबू नहीं

पाया जा सका। ऐसे में एक और दमकल को मौके पर भेजा गया। बताया गया है कि कंटेनर में पार्सल लदे हुये थे। इन पार्सल में क्या सामान था, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। वहीं दूसरी ओर आग की सूचना पर मांडल पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं मांडल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाने के प्रयास किया।

22 मवेशियों की मौत, पशुपालक को लाखों का नुकसान

खेतड़ी, (निस्)। खेतड़ी उपखंड के जसरपुर में रूंज के पेड़ की फली खाने से 22 मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद पशुपालकों को लाखों रूपए का नुकसान हो गया।

जानकारी के अनुसार जसरपुर से नंगली सलेदीसिंह जाने वाली सड़क के किनारे महावीर सिंह शेखावत के खेत में रूंज का पेड़ लगा हुआ है। भेड़ बकरी पालक रामजीलाल और जयनारायण जसरपुर के डोबड़ा की ढाणी ने बताया कि वे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान रूंज के पेड़ की सूखी फली खाने के बाद भेड़-बकरियां बीमार हो गईं और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर जमीन पर गिरने लगीं। इसके बाद



पशु चिकित्सक टीम ने मौके पर पहुंचकर भेड़ बकरियों का इलाज किया।

एक के बाद एक 20 भेड़ तथा दो बकरियों की मौत हो गई। मवेशियों की अचानक मौत हो जाने से पशु पालक सकते में आ

गए तथा आसपास के ग्रामीणों को मौके पर बुलाकर जानकारी दी गई। इसके बाद पशु चिकित्सक डॉ. योगेश आर्य और

उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर भेड़ बकरियों का इलाज शुरू किया, लेकिन 20 भेड़ों और 2 बकरियों की मौत हो गई। पंभीर रूप से बीमार 8 भेड़ों को ग्लूकोज और दवाइयां दी गईं, जिससे उनकी हालत में अब सुधार हो रहा है। भेड़ बकरी पालक ने बताया कि भेड़ बकरियों का पंजीकरण तो करा रखा है, लेकिन पशु बीमा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस घटना से करीब चार लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान मौके पर पहुंचे उमदे सिंह, भैरसिंह, राजपाल सिंह, काशीराम, गोपीराम, वीर सिंह, बिजेश कुमार, विक्रम, रवि, गुरप्रीत, अंकित ने प्रशासन से पीडित की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुआवजा देने की मांग की है।

अजमेर दरगाह मंदिर विवाद : अंजुमन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अंजुमन की याचिका पर आपत्ति जताई

■ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की

कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका पर अंजुमन के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह और वागीश कुमार सिंह ने दलील दी कि सुप्रिम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वरिषप एक्ट 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं

कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका पर अंजुमन के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह और वागीश कुमार सिंह ने दलील दी कि सुप्रिम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वरिषप एक्ट 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं

पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं कि देशभर की किसी भी अदालत में ऐसे मामलों की सुनवाई पर फिलहाल रोक रहेगी।

इसके बावजूद अजमेर की सिविल कोर्ट में इस तरह की सुनवाई हो रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। दूसरी ओर केंद्र सरकार

की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने अंजुमन की याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अंजुमन उस सिविल केस में पक्षकार नहीं है, इसलिए उसे हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह याचिका प्रारंभिक तौर पर सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है।

नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन से अवैध जल कनेक्शन पकड़ा

सायला, (निस्)। सायला उपखण्ड क्षेत्र के रेवतड़ा गांव स्थित हिरानी रिसोर्ट में नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन पर अवैध जल कनेक्शन पाये जाने पर प्रशासन द्वारा अवैध कनेक्शन काटकर करीब 23 लाख रुपये शांति प्रत्यारोपित कर अवैध कनेक्शनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई।

जानकारी के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई, तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी, सहायक अभियन्ता रूपेन्द्रसिंह एवं कनिष्ठ अभियन्ता कौशल कुमार के द्वारा पुलिस जाबो की उपस्थिति में वीराना-रेवतड़ा मार्ग पर स्थित हिरानी रिसोर्ट में अवैध जल कनेक्शन की जांच करने पर रेवतड़ा से वीराना जाने वाली नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन साइड 150 एएमएम डीआई पर 40 एएमएम साइड का अवैध कनेक्शन पाया गया। मौके पर इस अवैध कनेक्शन के पानी से टैंकर भरकर बेचना, निर्विमिंग पूल, फार्म हाउस एवं खेतों के कार्यों में डीजल जनरेटर सेट से उपयोग करना पाया गया, जिस पर



रेवतड़ा में नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन से अवैध कनेक्शन को प्रशासन की टीम ने काट दिया।

इस अवैध कनेक्शन को काटकर मौके से अवैध कनेक्शन में प्रयुक्त वाटर टैंकर क्षमता लगभग 450 लीटर तथा डीजल जनरेटर सेट जब्त करते हुए पानी चोरी की शांति 23,63,386 रुपये प्रत्यारोपित की गई। साथ ही अवैध

कनेक्शनकर्ता शैलेश पुत्र सालगराम उर्फ हपजी राजपुरोहित एवं कैलाश कुमार पुत्र सालगराम उर्फ हपजी राजपुरोहित निवासी रेवतड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की गई।

पुष्कर, (निस्)। सिविल डिफेंस टीम, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम ने संयुक्त रूप से पुष्कर के सावित्री माता रोप-वे पर अजमेर कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने को लेकर दरगाह में खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकल पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं केंद्र सरकार की ओर से वकील ने अंजुमन की याचिका पर सवाल उठाए।



सुरक्षार्कर्मियों ने केबिन में फंसे हुए यात्रियों को निकाला।

वे कार्मिकों को बचाने का पूर्वाभ्यास शुरू किया। इसके लिए पहले रोप-वे के नीचे जाल बिछाया गया तथा दो जवान उतारने के बाद उन्हें सबसे पहले मेडिकल टीम के डॉ. अभिजीत सोनी

के चेकअप किया। करीब पौन घंटे चले इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आंतरिक जिला कलेक्टर द्वितीय बंदना खोरवाल, पुष्कर एसडीओ, सिविल डिफेंस की उपनिर्यंत्रक पदमा देवी, टीम इंचार्ज

■ 70 जवानों ने रेस्क्यू करके सुरक्षित उतारा, प्रशासन ने मांक ड्रिल की

प्रशांत झाए, नडीआरएफ के प्रभारी योगेश मीणा, एसडीआरएफ के इंचार्ज बगी मीणा, पुष्कर थाने से एस आई छीतरमल, सिविल डिफेंस टीम पुष्कर के प्रभारी किशन गोपाल जाट, सलमान खान, राधेश्याम माली, अमरचंद सांखला, अग्रिशनमन के सुरेंद्र कुमार मीणा समेत दमकल, चिकित्सा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी/ प्रतिनिधि मौजूद रहे।यह मांकड्रिल समय समय पर राज्य सरकार के आदेशानुसार सुरक्षा जांचने एवं आपदा के समय आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए पूर्व अभ्यास किया जाता है। मांकड्रिल के कारण गुरुवारी की सुबह 08:30 बजे बाद रोप-वे का संचालन बंद कर दिया और मांकड्रिल अभ्यास के बाद वापिस संचारू रूप से शुरू कर दिया गया।